ए.

वी. पी. सिंह ई. टी. सी. बनाम

पंजाब राज्य और ओ. आर. एस. (आपराधिक अपील No.2103/2010) 24 नवंबर, 2022

बी.

[संजय किशन कौल और अभय एस**.** ओका**,** जेजे।**]**

दंड संहिता, 1860:धारा. 307 आत्महत्या के लिए उकसाना-कॉलेज में दुराचार के लिए फटकार लगाए जाने के बाद छात्र द्वारा आत्महत्या करना-उसे निलंबित कर दिया गया और वैध अनुशासनात्मक कार्रवाई के रूप में अपने माता-पिता को बुलाने के लिए कहा गया; और उसे नोटिस भी जारी किया गया और रुपये की सुरक्षा राशि जमा करने के लिए कहा गया। 10, 000/- हालांकि, अनुशासनात्मक कार्रवाई का पालन करने के बजाय, छात्र ने नहर में कूदकर अपनी जान ले ली-ऐसा करने से पहले, उसने अपने भाई को एक एस. एम. एस. भेजकर कहा कि वह अपने माता-पिता से प्यार करता है और उन्हें परेशान नहीं करना चाहता है-अपीलार्थियों-शिक्षक, विभाग के प्रमुख और प्राचार्य के खिलाफ एफ. आई. आर. दर्ज करना-धारा 306 के तहत लगाए गए आरोप-अपीलार्थियों द्वारा उसके खिलाफ पुनरीक्षण याचिका, जिसे उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया-अपील पर कहा गया:वास्तविक घटना का कोई स्वतंत्र गवाह नहीं था-आत्महत्या के लिए उकसाने का कोई मामला नहीं बनाया गया-अपराध करने के लिए आवश्यक सामग्री की अनुपस्थिति-संस्थान को चलाने के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई आवश्यक है और विपरीत स्थिति एक शैक्षणिक संस्थान में अराजक और असहनीय स्थिति पैदा करेगी-इसके अलावा, सुसाइड नोट से पता चलता है कि मृतक ने सोचा कि उसके पिता को इस घटना के लिए दोषी ठहराया जा सकता है और इस प्रकार अपने पिता को परेशान नहीं करने के लिए कहा-पिता की पीड़ा को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में परिवर्तित नहीं किया जाना चाहिए था-जांच और निचली विचारण न्यायालय का दृष्टिकोण मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अधिक यथार्थवादी हो सकता था-इस प्रकार, अपास्त करना गए आरोपों को तैयार करने का आदेश।

सी.

डी.

ई.

एफ.

एस. एस. छीना बनाम विजय कुमार महाजन और अन्न।

(2010) 12 एससीसी 190:[2010] 9 एस. सी. आर. 1111; संजू उपनाम

जी.

संजय सिंह सेंगर बनाम। एम**.** पी**.** राज्य **2002 (5)** एस**.** सी**.** सी**.**

371 :[2002] 3 एससीआर 668:[2002] 3 एस. सी. आर. 668; राज्य

पश्चिम बंगाल बनाम इंद्रजीत कुंडू और अन्य। **"2019 (10)**

एससीसी 188:[2019] 13 एससीआर 489; रमेश कुमार बनाम।

एच.

847

848 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 8 एस. सी. आर.

ए.

छत्तीसगढ़ राज्य (2001) 9 एस. सी. सी. 618:[2001] 4 पूरक।एस. सी. आर. 247-संदर्भित।

संदर्भित निर्णय

[2010] 9 एससीआर **1111**

संदर्भित किया गया है

पैरा **12**

[2002] 3 एससीआर **668**

संदर्भित किया गया है

पैरा **13**

बी.

[2019] 13 एससीआर **489**

संदर्भित किया गया है

पैरा **14**

[2001] 4 पूरक।पैरा **14** में निर्दिष्ट एस**.** सी**.** आर**. 247**

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय:2010 की आपराधिक अपील No.2103।

सी.

आपराधिक संशोधन No.1079 2009 (O & M) में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के दिनांक 30.04.2009 के निर्णय और आदेश से।

के साथ

डी.

सीआरएल। ए. 2010 का Nos.2104 और 2105।

पी. एस. पटवालिया, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुदर्शन राजन, महेश कुमार, हितेन बजाज, रोहित भारद्वाज, सक्षम माहेश्वरी, जगजीत सिंह छाबड़ा, मनोज राजपूत, अधिवक्तागण अपीलार्थियों के लिए।

सुश्री रूह-ए-हिना दुआ, हर्षित के., प्रेम मल्होत्रा, अधिवक्तागण उत्तरदाताओं के लिए।

ई.

याचिकाकर्ता व्यक्तिगत रूप से

व्यक्तिगत रूप से उत्तरदाता

न्यायालय का आदेश पारित किया गया था

एफ.

संजय किशन कौल**,** जे।

हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली अपने आप में एक सजा हो सकती है!इस मामले में ठीक यही हुआ है।14 वर्षों तक आत्महत्या के लिए उकसाने के मुद्दे पर एक प्रकरण में जहां एक छात्र को कॉलेज में कदाचार के लिए फटकार लगाई गई थी और अनुशासनात्मक कार्रवाई करने और पिता को फोन करने का प्रयास किया गया था, हालांकि माता-पिता नहीं आए और बाद में बच्चे ने आत्महत्या कर ली।एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति!हालाँकि, हम इस मुद्दे से चिंतित हैं कि क्या वर्तमान मामले में आत्महत्या के लिए उकसाने का कोई तत्व है जो आरोप तय किए जाने की सीमा पर था।

जी.

एच.

849

वी. पी. सिंह ई. टी. सी. बनामपंजाब राज्य और ओ. आर. एस. [संजय किशन कौल, जे।] ए.

ए.

16.4.2008 पर, मृतक अर्थात। श्री गौरव वाही अभियुक्तों में से एक श्री नितिन श्याम के नेतृत्व में अंतिम व्याख्यान में भाग ले रहे थे और उन पर शराब के प्रभाव में कक्षा में उनके साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप है।जब श्री श्याम ने श्री गौरव को कक्षा छोड़ने के लिए कहा, तो वह कक्षा से बाहर भाग गए।इस घटना की सूचना श्री नितिन श्याम ने विभाग के कार्यवाहक प्रमुख श्री सरबजीत सिंह को दी थी।इस घटना की सूचना श्री नितिन श्याम ने अगली तारीख यानी 17.4.2008 को विभाग के तत्कालीन प्रमुख को लिखित रूप में दी थी।मृतक को कक्षा से निलंबित करने और वैध अनुशासनात्मक कार्रवाई के अभ्यास के रूप में अपने माता-पिता को बुलाने के लिए एक आदेश पारित किया गया था।

बी.

श्री गौरव वाही, मृतक ने खुद को बचाने के लिए 21.4.2008 पर विभाग के प्रमुख को एक तरह से घटना को स्वीकार करते हुए माफी पत्र लिखा, लेकिन इस बात से इनकार किया कि वह शराब के प्रभाव में था।आई. डी. 2 पर, प्राचार्य श्री वी. पी. सिंह ने एक नोटिस जारी किया जिसमें उन्होंने अलग-अलग घटनाओं में मृतक सहित दो छात्रों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया, जिसमें अनुशासनात्मक अभ्यास के रूप में प्रतिभूति जमा के रूप में कॉलेज में आई. डी. 1,000/- की प्रतिभूति राशि जमा करने और माता-पिता को कार्यालय लाने की मांग की गई। इस जमा राशि को पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद वापस किया जाना था।

सी.

डी.

दुर्भाग्य से मृतक ने अनुशासनात्मक कार्रवाई का पालन करने के बजाय नहर में कूदकर अपनी जान लेने का फैसला किया।ऐसा करने से पहले, उन्होंने अपने भाई को एक एस. एम. एस. भेजा। श्री हिम्मत वाही।जब संदेश का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया और यहां तक कि मूल भाषा में पढ़ा गया, तो इसका तात्पर्य यह था कि वह नदी के गहरे किनारे पर कूद रहा था।उन्होंने कहा कि सबसे बढ़कर, वह अपनी माँ से सबसे अधिक प्यार करते थे और चाहते थे कि उनके पिता परेशान न हों।इसका स्पष्ट तात्पर्य यह है कि जब वह अपनी माँ के सबसे करीब थे, तो उन्होंने यह अनुमान लगाने की कोशिश की कि इस घटना के लिए उनके पिता को दोषी ठहराया जा सकता है और पिता को इससे परेशान नहीं होना चाहिए।

ई.

एफ.

पिता की शिकायत पर, 2008 की एफ़. आई. आर. पी. एस. सरदार रूपनगर जिला, पंजाब में एफ़. आई. आर. आई. डी. 2 पर भारतीय दंड संहिता (आई. पी. सी.) की धारा 376 के तहत

इस शिकायत पर दर्ज की गई थी कि उक्त आत्महत्या को तीन अभियुक्तों यानी शिक्षक, विभाग के प्रमुख और प्राचार्य द्वारा उकसाया गया था।

जी.

यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि 06.8.2008 पर जमानत आवेदन पर, जमानत देते समय उच्च न्यायालय के साथ वजन करने वाले कारकों में से एक यह था कि आचरण को आई. पी. सी. की धारा 305 के तहत अपराध के लिए अभियुक्त को उत्तरदायी बनाने के लिए नहीं माना जा सकता था क्योंकि यह अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए था।

एच.

कक्षा और परिसर में और भले ही शिक्षकों को कठोर व्यवहार करने के लिए कहा जाता है, यह नहीं कहा जा सकता है कि वे मृतक को आत्महत्या करने के लिए उकसाना, उकसाना या उकसाना चाहते थे।

जाँचक बाद 13.9.2008 पर आरोप पत्र दाखिल कयल गेल आ 16.4.2009 पर आरोप तय कयल गेल।उक्त आदेश से व्यथित होकर, तीन अभियुक्तों ने उच्च न्यायालय के समक्ष आपराधिक पुनरीक्षण याचिका को प्राथमिकता दी, जिसे एक गुप्त आदेश के साथ खारिज कर दिया गया था, जिसमें केवल यह कहा गया था कि कार्यवाही प्रारंभिक चरण में थी और इसमें किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं थी।वर्तमान अपीलों को इस आदेश पर जोर देते हुए प्राथमिकता दी गई थी और अंतरिम रोक सीमा पर दी गई थी।स्वाभाविक रूप से इस न्यायालय द्वारा रोक को देखते हुए मुकदमा आगे नहीं बढ़ा।यह मामला पिछले तेरह वर्षों से इसी पर टिका हुआ है!

बी.

सी.

वर्तमान अपील कार्यवाही में, अपीलार्थियों को दिनांक 1 के आदेश के माध्यम से निचली न्यायालय की कार्यवाही का पूरा रिकॉर्ड दाखिल करने के लिए कहा गया था, जो तदनुसार दायर किया गया है।

हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है और अभिलेख की जांच की है।

डी.

यदि हम शिकायत की ओर रुख करते हैं, तो आरोप पत्र केवल शिकायतकर्ता ने जो कहा है उसे शामिल करता है।यह पिता, शिकायतकर्ता (जो निश्चित रूप से जो हुआ उसे देखने के लिए मौजूद नहीं थे) का कहना है कि कुछ छात्र शोर मचा रहे थे और यह बेटा/मृतक नहीं था।बेटे ने कहा कि उसकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन श्री नितिन श्याम ने उसे कक्षा से बाहर जाने के लिए चिल्लाया।मृतक ने ऐसा किया और दरवाजा बंद कर दिया।आरोप है कि इसके बाद श्री नितिन श्याम बेटे के पीछे भागे और उसकी बांह पकड़ ली और उसे विभाग प्रमुख के कार्यालय की ओर घसीट कर ले गए।अगले दिन, जब मृतक कॉलेज गया, तो उसने पाया कि उसके नोटिस बोर्ड पर उसे नोटिस चिपकाया गया है, जिसमें लिखा है कि उसे निलंबित कर दिया गया है और वह अपने माता-पिता को बुलाता है, ऐसा न करने पर उसे परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।उन्हें 17.4.2008 पर कक्षा में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई और यहां तक कि विभाग के प्रमुख से शिकायत करने पर भी वे सफल नहीं हुए क्योंकि उन्हें उनका करियर खराब करने की धमकी दी गई थी, लेकिन श्री नितिन श्याम से मिलने पर उन्हें वापस कर दिया गया और यह भी कहा गया कि अगर उन्हें मरना है, तो यह उन्हें परेशान नहीं करेगा। चूंकि मृतक के सर्वोत्तम प्रयास के बावजूद अगले कुछ दिनों तक कुछ नहीं हुआ, इसलिए उसने आत्महत्या कर ली।आरोप पत्र के अवलोकन पर, यह पाया गया कि कोई अन्य स्वतंत्र गवाह नहीं है जिसका बयान दर्ज किया गया हो या जिसे वास्तविक घटना के गवाह के रूप में उद्धृत किया गया हो।ए सहित आदान-प्रदान किए गए पत्र को ध्यान में रखते हुए

ई.

एफ.

जी.

एच.

851

वी. पी. सिंह ई. टी. सी. बनामपंजाब राज्य और ओ. आर. एस. [संजय किशन कौल, जे।] ए.

उनके माफी पत्र में, यह स्पष्ट है कि शिकायत में अलंकरण हैं और आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला बनाने का प्रयास किया गया है।यदि कोई यह कह सकता है कि आरोप पत्र को पढ़ने पर भी, शिकायत के आधार पर, अभी भी आत्महत्या के लिए उकसाने का कोई मामला सामने नहीं आया है।

अपीलार्थियों के विद्वान वरिष्ठ वकील ने अन्य बातों के साथ-साथ एस. एस. छीना बनाम मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया है। विजय कुमार महाजन और ए. एन. आर. ". के रूप में रिपोर्ट किया गया (2010) 12 एस. सी. सी. 190 अधिक विशेष रूप से अनुच्छेद 24 और 25. न्यायालय ने देश में प्रचलित कानूनी स्थिति के परिप्रेक्ष्य में मामले की जांच की।जबकि आत्महत्या अपने आप में कोई अपराध नहीं है, लेकिन आत्महत्या का प्रयास आईपीसी की धारा

309 के तहत एक अपराध है। इसके बाद न्यायालय ने आई. पी. सी. की धारा 107 के तहत उकसाने की परिभाषा की ओर रुख किया जो इस प्रकार हैः-

बी.

सी.

“107. किसी चीज़ को बढ़ावा देना।—एक व्यक्ति किसी कार्य को करने में सहायता करता है, जो -

सबसे पहले।—किसी भी व्यक्ति को ऐसा करने के लिए उकसाता है; या

डी.

दूसरा।—उस कार्य को करने के लिए किसी भी साजिश में एक या अधिक अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ संलग्न है, यदि उस साजिश के अनुसरण में कोई कार्य या अवैध चूक होती है, और उस कार्य को करने के लिए; या

तीसरी बात।—जानबूझकर किसी भी कार्य या अवैध चूक से उस कार्य को करने में सहायता करता है।

ई.

स्पष्टीकरण 1.—एक व्यक्ति जो जानबूझकर गलत तरीके से प्रस्तुत करके, या किसी भौतिक तथ्य को जानबूझकर छिपाकर, जिसे वह प्रकट करने के लिए बाध्य है, स्वेच्छा से किसी कार्य का कारण बनता है या प्राप्त करता है, या कारण बनाने या प्राप्त करने का प्रयास करता है, उसे उस कार्य को करने के लिए उकसाता है।जबकि प्रत्येक व्यक्ति की आत्महत्या की प्रवृत्ति दूसरों से अलग होती है, प्रत्येक व्यक्ति का आत्म-सम्मान और आत्म-सम्मान का अपना विचार होता है और इसलिए ऐसे मामलों से निपटने के लिए कोई सीधा सूत्र निर्धारित करना मुश्किल था।इस संदर्भ में अनुच्छेद 25 निम्नानुसार हैः-

एफ.

जी.

“25. प्रोत्साहन में किसी व्यक्ति को उकसाने या जानबूझकर किसी व्यक्ति को कुछ करने में सहायता करने की एक मानसिक प्रक्रिया शामिल है।आत्महत्या करने के लिए उकसाने या सहायता करने के लिए अभियुक्त की ओर से एक सकारात्मक कार्य के बिना, दोषसिद्धि को बनाए नहीं रखा जा सकता है।की मंशा

एच.

विधायिका और इस न्यायालय द्वारा तय किए गए मामलों का अनुपात स्पष्ट है कि आई. पी. सी. की धारा 376 के तहत किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने के लिए अपराध करने के लिए एक स्पष्ट पुरुष कारण होना चाहिए।इसके लिए एक सक्रिय कार्य या प्रत्यक्ष कार्य की भी आवश्यकता होती है जिसके कारण मृतक को कोई विकल्प न देखकर आत्महत्या करनी पड़ी और उस कार्य का उद्देश्य मृतक को ऐसी स्थिति में धकेलना रहा होगा कि उसने आत्महत्या कर ली।"

बी.

विद्वान अधिवक्ता ने 2002 (5) एस. सी. सी. 371 के रूप में रिपोर्ट किए गए "संजू उपनाम संजय सिंह सेंगर बनाम एम. पी. राज्य" के फैसले का भी उल्लेख किया है, जिसमें तर्क दिया गया है कि इस न्यायालय की राय यह है कि जहां किसी व्यक्ति ने कहा है कि उसकी मृत्यु से कोई फर्क नहीं पड़ेगा या वह जा सकता है और मर सकता है।यह अपने आप में मेन्स रिया की अनुपस्थिति में एक उकसावे के बराबर नहीं होगा।

सी.

हमारे समक्ष निर्दिष्ट एक अन्य निर्णय "पश्चिम बंगाल राज्य बनाम इंद्रजीत कुंडू और अन्य" के मामले में है, जिसे 2019 (10) एस. सी. सी. 188 के रूप में रिपोर्ट किया गया है, जिसमें "रमेश कुमार बनाम छत्तीसगढ़ राज्य" में पहले के फैसले को (2001) 9 एस. सी. सी. 618 के रूप में रिपोर्ट किया गया था, जिसमें आई. पी. सी. की धारा 106 के दायरे और आई. पी. सी. की धारा 107 में दिए गए प्रावधानों पर विचार करने के लिए अनुमोदन के लिए उल्लेख किया गया था। उत्तेजना शब्द की व्याख्या करते समय रमेश कुमार केस (सुप्रा) के पैराग्राफ 20 में निम्नलिखित रूप में देखा गया थाः

डी.

"20. उकसाना, आगे बढ़ने का आग्रह करना, उकसाना, उकसाना या "एक कार्य" करने के लिए प्रोत्साहित करना है।उकसाने की आवश्यकता को पूरा करने के लिए हालांकि यह आवश्यक नहीं है कि उस प्रभाव के लिए वास्तविक शब्दों का उपयोग किया जाना चाहिए या जो उकसाने का गठन करता है वह आवश्यक रूप से और विशेष रूप से परिणाम का संकेत होना चाहिए।फिर भी परिणाम को उकसाने के लिए एक उचित निश्चितता को स्पष्ट करने में सक्षम होना चाहिए।वर्तमान मामला ऐसा मामला नहीं है जिसमें अभियुक्त ने अपने कृत्यों या चूक या निरंतर आचरण से ऐसी परिस्थितियाँ पैदा की थीं कि मृतक के पास आत्महत्या करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं बचा था, जिस मामले में उकसावे का अनुमान लगाया जा सकता था।वास्तव में परिणाम की इच्छा किए बिना क्रोध या भावना के अनुरूप बोले गए शब्द को उकसाना नहीं कहा जा सकता है।

ई.

एफ.

जी.

वास्तव में इंद्रजीत कुंडू मामले (सुप्रा) में संजू मामले (सुप्रा) में हमें जिस फैसले का उल्लेख किया गया था, उसे एक बार फिर से संदर्भित किया गया था, जहां पति और पत्नी के झगड़े के परिणामस्वरूप पति ने पत्नी को "जाकर मरने" के लिए कहा और दो दिन बाद आत्महत्या कर ली, इसे झगड़े से निकटता नहीं कहा गया, भले ही सुसाइड नोट में कहा गया हो।

एच.

853

वी. पी. सिंह ई. टी. सी. बनामपंजाब राज्य और ओ. आर. एस. [संजय किशन कौल, जे।]

ए.

वर्तमान मामले में तथ्यात्मक मैट्रिक्स की जांच करने के लिए, उपरोक्त कानूनी स्थिति को देखते हुए, हम रिकॉर्ड पर ऐसी सामग्री नहीं पाते हैं जो पूर्ण आरोप पत्र को सही मानती हो जो उकसाने के मामले में दोषसिद्धि का कारण बन सकती है क्योंकि अपराध करने के लिए आवश्यक सामग्री का अभाव था।जबकि हम एक पिता की पीड़ा की सराहना करते हैं जिसने एक छोटे बेटे को खो दिया है, जिसके परिणामस्वरूप दुनिया (वर्तमान मामले में, संस्थान और उसके शिक्षकों) को संस्थान चलाने के लिए आवश्यक बुनियादी अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।एक विपरीत स्थिति एक शैक्षणिक संस्थान में एक कानूनविहीन और असहनीय स्थिति पैदा करेगी।सुसाइड नोट से आगे पता चलता है कि मृतक और उसके पिता के बीच संबंधों के बारे में कुछ कहा जा सकता है, जहां वास्तव में मृतक ने सोचा कि उसके पिता को इस घटना के लिए दोषी ठहराया जा सकता है और इसलिए अपने पिता को परेशान न करने के लिए कहा।पिता की पीड़ा को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में परिवर्तित नहीं किया जाना चाहिए था और निश्चित रूप से निचली न्यायालय की जांच और दृष्टिकोण आसपास के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अधिक यथार्थवादी हो सकता था जिसमें आत्महत्या की घटना हुई थी।

बी.

सी.

डी.

इस प्रकार हम 2008 की एफ. आई. आर. No.62 के संबंध में अभियुक्त को आरोप तय करने के दिनांकित आदेश और उच्च न्यायालय के विवादित आदेश को अपास्त करनाते हैं।

अपीलों को तदनुसार अनुमति दी जाती है और पक्षकारों को अपनी लागत वहन करने के लिए छोड़ दिया जाता है।

ई.

निधि जैन

अपीलों की अनुमति दी गई।

(सहायकः शाश्वत जैन, एलसीआरए)

एफ.

जी.

एच.